MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/23065 दिनांक 26 मई, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाडा जिले में उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर के राजस्व ग्राम अरनिया में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के आदेश क्रमांक 22966 दिनांक 18 मई 2020 से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत** उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर के राजस्व ग्राम अरनिया की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागु की है।

उक्त लागू निषेधाज्ञा के अग्रसरण में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर से प्राप्त पत्र दिनांक 23.05.2020 के क्रम में उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर के राजस्व ग्राम अरनिया में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर के राजस्व ग्राम अरनिया की **सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** लागू **सख्त निषेधाज्ञा को** तत्काल प्रभाव से **प्रत्याहरित कर** उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर के राजस्व ग्राम अरनिया के जोशी मोहल्ला की सीमा क्षेत्र **को** Zero Mobility & Containment Area **(लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र) घोषित करता हूं।**

यह आदेश आज दिनांक 26 मई 2020 को सांय 5.00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गंगापुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें साथ ही स्थानीय स्तर पर सर्व संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौके पर ही उपलब्धता बाबत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
13. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
14. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner